भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2371

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन और लाभ

2371. श्री शफी परम्बिल:
डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र सहित देश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) के वेतन, लाभ और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसंबर, 2025 तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले वेतन और अन्य लाभों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) के उत्थान और विकास के लिए कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो इसके लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा करने और इन कार्यकर्ताओं के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय की मानद कार्यकर्ता हैं जो स्थानीय समुदाय की मदद के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मासिक मानदेय दिया जाता है, जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती है। 1 अक्टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह राशि केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात के अनुसार दी जाती है। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति

माह का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाता है। साथ ही, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन स्वैच्छिक कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप-अप भी प्रदान करते हैं, जो राज्यवार भिन्न-भिन्न होते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को दी जाने वाली अतिरिक्त टॉप-अप राशि का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर तकनीकी रूप से समर्थ बनाया गया है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल फोन एप्लिकेशन है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल किया गया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही वे आंगनवाड़ियों में चल रही सभी गतिविधियों की तत्समय (रियल टाईम) निगरानी कर पाती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए, निम्नलिखित विभिन्न पहलें की गई हैं:

(i) अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, गर्भपात/गर्भस्राव पर एक बार 45 दिनों का सवैतनिक अवकाश।

(ii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करें, यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(iii) पदोन्नति : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, बशर्ते कि वे अन्य मानदण्डों को पूरा करती हों।

(iv) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं : 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल है) और 18-59 वर्ष की आयु समूह की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये (दुर्घटनागत मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है।

(v) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज दी गई है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी नीति एवं योजना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जबकि कार्यक्रम के दैनिक कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन और लाभ" विषय पर श्री शफी परम्बिल और डॉ. नामदेव किरसान द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2371 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) 2025-26 के अनुसार प्रदान की गई अतिरिक्त टॉप-अप राशि का विवरण:

क्र.संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मानदेय भुगतान (प्रति माह)
1	आंध्र प्रदेश	7,000
2	बिहार	2,500
3	छत्तीसगढ़	5,500
4	गुजरात	5,500
5	हरियाणा	10,250
6	हिमाचल प्रदेश	5,500
7	जम्मू एवं कश्मीर	600
8	झारखंड	5,000
9	कर्नाटक	7,000
10	केरल	5,700
11	मध्य प्रदेश	8,500
12	महाराष्ट्र	8,500
13	ओडिशा	5,500
14	पंजाब	5,500-6,500
15	राजस्थान	5,510
16	तमिलनाडु	3,200
17	तेलंगाना	9,150
18	उत्तर प्रदेश	1,500
19	उत्तराखंड	4,800
20	पश्चिम बंगाल	4,500
21	अरुणाचल प्रदेश	3,000
22	असम	2,000
23	मणिपुर	1,000
24	मेघालय	3,000
25	मिजोरम	450
26	नागालैंड	Nil
27	सिक्किम	7,000
28	त्रिपुरा	3,500-5,946
29	अंडमान और निकोबार	7,500
30	गोवा	5,500 -13,500
31	पुदुच्चेरी	1,950
32	चंडीगढ़	3,600

33	लद्दाख	1,300
34	दिल्ली	6,720
35	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3,500
36	लक्षद्वीप	5,500
